INDIA NON JUDICIAL

IN-UP80507241394361X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UP80507241394361X**
Certificate Issued Date	:	05-Dec-2025 11:39 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14162704/ PHULPUR/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14162704573556862574653X
Purchased by	:	Mohammad Afzal Khan
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	Mohammad Imran Ahmad
Second Party	:	Mohammad Afzal Khan
Stamp Duty Paid By	:	Mohammad Afzal Khan
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,100 (One Thousand One Hundred only)

ACC Name-Radha Kesharwani,ACC Code-UP14162704
Shekhpur-Prayagraj,Mob
License No.-910,Tehsil-Phulpur,District-Prayagraj

Please write or type below this line

PF 0016370545

Statutory Alert:
should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding
available on the website / Mobile App renders it invalid

[illegible] प्रयागराज · उत्तर प्रदेश

सामान्य अनुबन्ध

Consortium Memorandum of Understanding Between Society Executive Members (MoU)

इस MoU का निष्पादन प्रयागराज शहर में आज दिनांक 02.09.2025 को निम्न पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया गया है।

BETWEEN

1. गोल्डेन सहकारी आवास समिति लिमिटेड प्रयागराज द्वारा – सचिव : मोहम्मद इमरान अहमद पुत्र मो0 रफी खान निवासी : चकहरिहरवन, झूंसी, प्रयागराज (जिसमें उनके वारिस, उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि प्रबन्धक, निष्पादन, मनोनित और कार्यवाहक भी सम्मिलित होगें) जिन्हे इस विलेख में प्रथमपक्ष से सम्बोधित किया गया है।

आधार कार्ड सं0 961295236308
पैन कार्ड सं0 AHXPA7747A
मो0 9415668306

..........प्रथम पक्ष

2. मोहम्मद अफजल खान पुत्र गुलाम मुर्तजा खान निवासी : चकहरिहरवन, झूंसी, प्रयागराज (जिसमें उनके वारिस, उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि प्रबन्धक, निष्पादन, मनोनित और कार्यवाहक भी सम्मिलित होगें) जिन्हे इस विलेख में द्वितीयपक्ष से सम्बोधित किया गया है।

आधार कार्ड सं0 312483126231
पैन कार्ड सं0 ASSPK5570D
मो0 9415668305

............द्वितीय पक्ष

3. राजीव नागर पुत्र राम नरेश निवासी : 97 चक निरातुल, चौफटका, जी.टी.बी. नगर, प्रयागराज (जिसमें उनके वारिस, उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि प्रबन्धक, निष्पादन, मनोनित और कार्यवाहक भी सम्मिलित होगें) जिन्हे इस विलेख में तृतीयपक्ष से सम्बोधित किया गया है।

आधारकार्ड सं0 889534004915
पैन कार्ड सं0 AGOPN6420B
मो0 9795384858

............तृतीय पक्ष

तर प्रदेश

(जो कि प्रथम पक्ष, द्वितीय, तृतीय पक्ष को आगे संयुक्त रूप से इस विलेख में आगे पक्षकारगण से सम्बोधित किया गया है जिसमे उनके विधिक वारिस, पदाधिकारी, प्रतिनिधि, नामित व्यक्ति भी सम्मिलित माने व समझे जायेंगे।)

जो कि इस MoU का निष्पादन समिति जो कि GOLDEN SAHKARI AWAS SAMITI LTD के तत्वधान में रियल स्टेट क्षेत्र में कार्यरत है के बीच आपसी सामजस्य से परियोजनां **GREEN ESTATE** का कियावन सामूहिक रूप से आपस में मिलकर कार्य करने की रूप-रेखा, कार्य-प्रणाली व शर्ते तथा नियम को नियन्त्रित किये जाने के लिए इस विलेख का निष्पादन किया जा रहा है जिसके अधीन पक्षकारगण की घोषण एवं साझा उद्देश्य, अस्वीकरण (disclaimer) एवं साझेदारी से कार्य करने तथा पक्षकारगण के फायदे के साथ-साथ आवंटियों एवं सदस्यों के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य की घोषणा करते हुए इस विलेख का निष्पादन किया जा रहा है।

जो कि यह MoU विशेष तौर पर GOLDEN SAHKARI AWAS SAMITI LTD परियोजनां **GREEN ESTATE** के बैनर के साथ रियल स्टेट डेवलपमेंट एवं निर्माण करने की संयुक्त उदघोषणा हेतु निष्पादित किया गया है।

जो कि इस विलेख के माध्यम से कार्य करने वाले समूह का नाम समग्र रूप से ' GOLDEN SAHKARI AWAS SAMITI LTD ' होगा

जो कि पक्षकारणगण के तत्वधान में कार्य करेगें तथा आपसी सामजस्य एवं सहमती से रियल स्टेट सेक्टर में यथा प्लाटेड डेवलपमेन्ट के साथ साथ समूह आवास योजना एवं Row Housing, एकल आवास इत्यादि का निर्माण एवं व्यवसायिक भवनों का निर्माण यथा रेस्टोरेन्ट, हाईपर मार्केट, व्यवसायिक दुकानें, नर्सिंग होम, विद्यालय इत्यादि के निर्माण कार्य के लिये आपस मे सहमति रखते हुए कार्य करेगें तथा वर्तमान में जिस उद्देश्य के लिए इस विलेख का निष्पादन किया जा रहा आगे भी इसी प्रकार से व्यवसायिक कार्य जो संस्थाओं के मेमोरेण्डम अथवा बाइलाज के अधीन होगा करने के बिन्दु पर रजामन्द एवं सहमत है जिसको दृष्टिगत रखते हुये इस दस्तावेज का निष्पादन करते हुये पंजीकृत करवा रहे है।

जो कि पक्षकारगण के दायित्वो, अधिकारो, हितो, हिस्सेदारी इत्यादि का पूरा विवरण इस विलेख में आगे उल्लेखित है।

जो कि पक्षकारगण द्वारा इस दस्तावेज के माध्यम से स्थापित किये जा रहे MoU जो कि सहायता संघ के रूप में कार्य करेगी का संचालन GOLDEN SAHKARI AWAS SAMITI LTD के नाम से संचालित होगा जिसका पंजीकृत कार्यालय का पता, :- चक हरिहर बन, झूंसी, प्रयागराज-211019

R. Narayan

आवेदन सं०: 202500889018214

अनुबंध विलेख/घोषणा पत्र

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 183 | वर्ष: 2025

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 160

श्री गोल्डेन सहकारी आवास समिति द्वारा सचिव द्वारा
मोहम्मद इमरान अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री मो० रफी खान
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: चकहरिहरवन, झूंसी, फूलपुर प्रयागराज

श्री, गोल्डेन सहकारी आवास समिति द्वारा सचिव द्वारा मोहम्मद इमरान अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 05/12/2025 एवं 12:31:16 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शशिकांत श्रीवास्तव प्रभारी
उप निबंधक :फूलपुर
प्रयागराज
05/12/2025

मोहित पाल .
निबंधक लिपिक
05/12/2025

प्रयागराज
उत्तर प्रदेश

इस MoU में पक्षकारगण की हिस्सेदारी, कियान्वन से सम्बन्धित दायित्व तथा अन्य नियम व शर्ते इत्यादि निम्नानुसार होगी :-

1. प्रबन्धक सदस्यः

1.1 जो कि इस विलेख के प्रथम पक्ष को पक्षकारगण द्वारा आपसी सहमति से प्रबन्धक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा रहा है जिन्हे आगे प्रबन्धक सदस्य से सम्बोधित किया जायेगा।

1.2 जो कि प्रबन्धक सदस्य समिति की बोर्ड मिटिंग में लिये गये निर्णय के कम में अपने दायित्वों का निवर्हन करेगें।

1.3 जो कि इस विलेख के पक्षकारगण जिसके अधीन समिति सम्मलित है के स्तर से अपने-अपने मैमोरेण्डम/बाइलाज के कम में सस्थांओं की बोर्ड/कार्यकारणी बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए इस समूह का गठ्न हुआ है एवं विलेख का निष्पादन किया गया है तथा प्रबंधक सदस्य की नियुक्ति की गयी है उक्त पारित प्रस्ताव इस विलेख का अभिन्न अंग होगा।

2. विलेख का उद्देश्य एवं क्षेत्रः-

2.1 जो कि इस विलेख का उद्देश्य निर्माण कार्य इत्यादि को विलेख में उल्लेखित शर्तो के अधीन व्यासयिक कार्य करने से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत समूह आवास परियोजना एवं प्लाट्टेड डेवलपमेन्ट, Row Housing , एकल आवास इत्यादि के निर्माण कार्य के साथ-साथ जैसा की ऊपर उल्लेखित है विभिन्न प्रयोजनों के निर्माण कार्य का कियान्वन किया जाना है।

2.2 जो कि प्रथम पक्ष प्रबन्धक सदस्य और इस MoU के अन्य सदस्यगण संयुक्त रूप से किसी भी योजना को संचालित करने और निरन्तरता बनाए रखने के लिए वित्त निर्माण व अन्य निर्माण से जुड़ी कार्यवाहीयों को अंन्जाम देने के साथ-साथ भूमि जुट्वा की प्रकिया में अपना योगदान जैसा की आपस में सहमती बने देगें।

2.3 जो कि इस विलेख के प्रबन्धक सदस्य और अन्य सहयोगी पक्षगण द्वारा विकसित संपत्तियों का विकय अपने-अपने स्वामित्व के अनुपात में किया जायेगा एवं विकय मूल्य का बँटवारा पक्षकारगण द्वारा आपसी सहमति से अपने हिस्सेदारी के अनुपात में कर लिया जायेगा।

2.4 जो कि सभी पक्षकारगण इस बिन्दु पर भी सहमत है कि इस विलेख का कोई पक्षकार किसी तीसरे पक्षकार के साथ मिलकर किसी परियोजना को बिल्डर एग्रीमेंट, डेवल्पर एग्रीमेंट, पार्टनरशिप विलेख, एल.एल.पी के माध्यम से तनहा रूप से अथवा किसी अन्य पक्ष के साथ मिलकर दस्तावेज का निष्पादन करते हुए परियोजना को विकसित किया जा सकता है जिस पर इस विलेख की कोई भी पाबंदी प्राभावी नही रहेगी अर्थात उक्त दस्तावेज जो तीसरे पक्षकार के साथ मिलकर निष्पादित करते हुए किसी भी प्रकार की परियोजना का कियावन किये जाने की दशा में उक्त दस्तावेज की वरियता रहेगी तथा इस सीमा तक इस बिन्दु पर इस दस्तावेज को शिथिल माना व समक्षा जायेगा जिस पर सभी पक्षकारगण आपस में रजामंद है तथा इस बिन्दु पर भी सहमती रखते है की इस विलेख या दो से अधिक

आवेदन सं०: 202500889018214

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 183 | वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

प्रथम पक्ष: 1

श्री गोल्डेन सहकारी आवास समिति द्वारा सचिव के द्वारा मोहम्मद इमरान,

|MOHAMMAD IMRAN AHMAD

पुत्र श्री मो० रफी खान

निवासी: चकहरिहरवन, झूंसी, फूलपुर प्रयागराज

व्यवसाय: व्यापार

प्रथम पक्ष: 2

श्री मोहम्मद अफजल खान,

|MOHAMMAD AFZAL KHAN

पुत्र श्री गुलाम मुर्तुजा खान

निवासी: चकहरिहरवन, झूंसी, फूलपुर प्रयागराज

व्यवसाय: व्यापार

प्रथम पक्ष: 3

श्री राजीव नगर,

|RAJEEV NAGAR

पुत्र श्री राम नरेश

निवासी: 97 चक निरातुल चौफटका जीटीबी नगर प्रयागराज

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री शिवकुमार, पुत्र श्री रमाशंकर

निवासी: मुलनापुर, सैदाबाद प्रयागराज

व्यवसाय: वकालत

पहचानकर्ता : 2

श्री प्रमोद कुमार, पुत्र श्री फूलचन्द्र

निवासी: सरायगोपी उर्फ झझरी, पोस्ट बाबूगंज फूलपुर प्रयागराज

व्यवसाय: वकालत

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शशिकांत श्रीवास्तव प्रभारी
उप निबंधक : फूलपुर
प्रयागराज
05/12/2025

पक्षकारगण आपस में मिलकर अथवा किसी तीसरे पक्षकारगण के साथ मिलकर किसी परियोजना विशेष का कियावन कर सकते है।

2.5 जो कि इस दस्तवेज के कोई भी पक्षकारगण स्वतंत्र रूप से अपने स्तर से एवं विवेकानुसार अपना व्यवसाय संचालित कर सकते है जिसपर इस विलेख की कोई भी पाबंदी नही रहेगी।

2.6 जो कि यह विलेख समूह के सदस्यों की मध्य संबल के रूप में अवधारणीत है सदस्यों को Best Busnisess Practices के लिए प्रेरित करता है यह विलेख किसी भी दशा में निरोधकारी नही होगा।

3. <u>प्रबंधन संरचना और सदस्यों के नियमः–</u>

3.1 जो कि सभी पक्षकारगण प्रयागराज विकास प्राधिकरण की उपविधि में परिभाषित विकासकर्ता के परिभाषा के अनुसार एक प्राइवेट डेवलपर है। निर्माण से सम्बन्धित जिस किसी भी योजना को अंन्जाम देने की सहमति पक्षकारगणों के मध्य बनेगी उस योजना को विकसित करने का पूरा दायित्व क्रियावन से सम्बन्धित निर्धारित करते हुए किसी भी पक्षकार को लीड मेम्बर बनाया जा सकता है।

3.2 जो कि यहां पर यह भी स्पष्ट करना है कि लीड मेम्बर के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण समिति की बोड बैठक में समय–समय पर लिये जाने वाले प्रस्तावों के अधीन होगा।

4. <u>वित्तपोषण, पारिश्रमिक और व्यय साझा करने का आधार :–</u>

4.1 जो कि इस विलेख के माध्यम से जिस किसी भी योजना का क्रियान्वन करने की सहमति पक्षकारगणों के मध्य बनेगी उसमें लगने वाले सभी व्यय, निर्माण मूल्य, अन्य लागत इत्यादि को पक्षकारगण की आपसी सहमती के साथ–साथ आर्थीक क्षमता एवं परियोजना में स्वामित्व के आधार पर निर्धारित होगा तथा इसी अनुपात में लाभाशं एवं लाभ–हानि का प्रतिशत निर्धारित होगा।

4.2 जो कि इस विलेख के पक्षकारगण द्वारा आपसी सहमती से आपस में विचार विमर्श के बाद आपसी लिखित सहमति के बाद यदि आवश्यक हुआ तो अपने स्वामित्व की सम्पत्ति को नियमानुसार एक दूसरे के प्रयोजन हेतु बन्धक रखकर, जमा करके वित्तीय संस्थान/बैकों से ऋण उठाएंगे।

4.3 जो कि इस विलेख के अर्न्तगत जिस किसी भी योजना को अंन्जाम दिया जायेगा योजना के क्रियान्वन के सम्बन्ध में एक या एक से अधिक बैंक खातो का उपरोक्त उद्देश्य के लिए खोला जा सकेगा जिसका संचालन आपसी सहमती से MoU के बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के अधीन प्रबन्धक सदस्य द्वारा किया जायेगा अथवा पक्षकारगण की आपसी सहमति से किसी अन्य नामित/अधिकृत व्यक्ति द्वारा पक्षकारगण की ओर से खाते का संचालन करेगा।

R. Narayan

आवेदन सं०: 202500889018214

बही सं० 4 | रजिस्ट्रेशन स० 183 | वर्ष 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

प्रथम पक्ष: 1

श्री गोल्डेन सहकारी आवास समिति द्वारा सचिव के द्वारा मोहम्मद इमरान, |MOHAMMAD IMRAN AHMAD

पुत्र श्री मो० रफी खान

निवासी: चकहरिहरवन, झूंसी, फूलपुर प्रयागराज

व्यवसाय: व्यापार

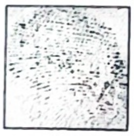

प्रथम पक्ष: 2

श्री मोहम्मद अफजल खान, |MOHAMMAD AFZAL KHAN

पुत्र श्री गुलाम मुर्तुजा खान

निवासी: चकहरिहरवन, झूंसी, फूलपुर प्रयागराज

व्यवसाय: व्यापार

प्रथम पक्ष: 3

श्री राजीव नगर, |RAJEEV NAGAR

पुत्र श्री राम नरेश

निवासी: 97 चक निरातुल चौफटका जीटीबी नगर प्रयागराज

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री शिवकुमार, पुत्र श्री रमाशंकर

निवासी: मुलनापुर, सैदाबाद प्रयागराज

व्यवसाय: वकालत

पहचानकर्ता : 2

श्री प्रमोद कुमार, पुत्र श्री फूलचन्द्र

निवासी: सरायगोपी उर्फ झझरी, पोस्ट बनिगंज फूलपुर प्रयागराज

व्यवसाय: वकालत

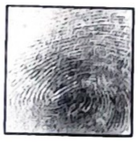

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शशिकांत श्रीवास्तव प्रभारी
उप निबंधक : फूलपुर
प्रयागराज
05/12/2025

मोहित पाल .
निबंधक लिपिक प्रयागराज
05/12/2025

उत्तर प्रदेश

4.4 जो कि प्रबन्धक सदस्य अथवा अन्य नामित/अधिकृत सदस्य बैंक गारन्टी, सी0सी0/ओ0डी0 इत्यादि से सम्बन्धित समस्त प्रकार की लेन-देन से सम्बन्धित दस्तावेजों, कागजातों, डीड इत्यादि का निष्पादन अपने एकल हस्ताक्षर से करने के लिए अधिकृत होगा इसके साथ-साथ बैंक से ऋण लेने, परियोजना अनुमोदित करवाने से सम्बन्धित समस्त प्रकार की कार्यवाही करने का दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये इस विलेख के अधीन अधिकृत होंगे।

4.5 जो कि उपरोक्त के अतिरिक्त प्रबन्धक सदस्य इस विलेख के अधीन नियोजन के सरप्लस फन्ड को S.T.D.R., F.D.R. इत्यादि के माध्यम से निवेश करने के लिए अपने एकल हस्ताक्षर से अधिकृत होगा।

4.6 जो कि पक्षकारगण द्वारा आपस में एक दुसरे के खाते में धनराशि का अन्तरण कर सकते है, आपस में आश्यकतानुसार सम्पत्ति को बंधक रखते हुए ऋण प्राप्त कर सकते है एक दूसरे के हक में आपेक्षानुसार भूमि का अंतरण/समायोजन भी कर सकते है।

4.7 जो कि पक्षकारगण द्वारा एक-दूसरे की तरफ से किसी भी परियोजना के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते है, दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है, दावा/प्रतिदावा प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी मुकदमें आदि में पैरवी की जा सकती है, रेरा एवं विकास प्राधिकरण या अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किये गये उक्त सभी कार्य इस MoU के अधीन मान्य एवं वैध होगें।

4.8 जो कि कि इस MoU के कम में निष्पादित होने वाली किसी भी परियोजना में पक्षकारगणके लाभ-हानि का प्रतिशत समानुपात में होगा जो उपरोक्तानुसार सभी पक्षकारगण की आम सहमति एवं रजा मंन्दी है और इसी अनुपात में पक्षकारगण द्वारा अपनी लाभ-हानि व अन्य दायित्वों का वहन किया जायेगा।

5. सामान्य नियम और शर्तेः-

5.1 जो कि प्रथम पक्ष प्रबन्धक सदस्य को पक्षकारगण द्वारा संचालित की जाने वाली किसी भी परियोजना के कारोबार का निर्देशन एवं देखभाल करने का अधिकार होगा।

5.2 जो कि प्रथम पक्ष प्रबन्धक सदस्य किसी भी कर्मचारियो की नियुक्ति, पद मुक्ति एवं पदोन्नति कर सकेगा।

5.3 जो कि इस MoU का लेखा-जोखा तैयार करने के लिए वितीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जायेगा समस्त व्ययो का/देनदारियो का भुगतान करने के बाद पक्षकारगण के मध्य उनके अंश के अनुरूप आपसी आम सहमति के आधार पर लाभ-हानि एवं अन्य देनदारियों को साझा किया जायेगा।

R. Nangar

उत्तर प्रदेश

5.4 जो कि इस MoU की अलग बुक्स ऑफ एकाउण्टस नही बनेगी बल्की पक्षकार अपनी बुक्स में इस MoU के तहत समिति से प्राप्तीयों का समायोजन करेगें। इस प्रस्तर में आवश्यकतानुसार आपेक्षित संशोधन सी.ए. के सुझाव के अनुसार अनुमन्य होगा।

5.5 जो कि प्रथम पक्ष प्रबन्धक सदस्य को उनके द्वारा किये जा रहे उपरोक्तानुसार अतिरिक्त कार्यो के लिए समय-समय पर प्रोत्साहन धनराशि के रूप मे अदायगी पक्षकारगण की आपसी सहमति से निर्धारित किया जायेगा जिसे पाने का अधिकार प्रबन्धक सदस्य को रहेगा।

5.6 जो कि इस विलेख को पक्षकारगण द्वारा आपसी से अपरोक्तानुसार उल्लेखित अपने-अपने दायित्व, उत्तरदायित्वों के अधीन कर्तव्य का निर्धारण करते हुए, यदि आवश्यक हुआ तो किसी भी समय इस विलेख को विखण्डित करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

5.7 जो कि प्रथम पक्ष प्रबन्धक सदस्य किसी भी प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में यदि आपेक्षित हुआ तो न्यायालय में वाद योजित कर सकेगा किसी अधिवक्ता/मुख्तारेआम/अभिकर्ता या प्रबन्धक की नियुक्ति या पद मुक्ति कर सकेगा।

5.8 जो कि प्रथम पक्ष प्रबन्धक सदस्य को इस विलेख के माध्यम से अधिकृत किया जाता है कि वे इस विलेख के अधीन प्रस्तावित किसी भी योजना का प्रयागराज विकास प्राधिकरण, रेरा अर्थारिटी एवं अन्य किसी शासकीय संस्थान व प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधत्व करने के साथ-साथ इन्कम टैक्स, जी0एस0टी0 विभाग में प्रतिनिधित्व करने के लिये अधिकृत होने के साथ-साथ नोटिस प्राप्त करना उसका निस्तारण करवाना, जवाब लगाना व पैरवी करने के लिये भी इस विलेख के अधीन सक्षम माना जायेगा। विकास प्राधिकरण, रेरा, बिजली विभाग, नगर निगम अन्य संस्थानों के समक्ष पंजीकरण, शुल्क एवं अन्य किसी भी चार्जेस को जमा करें, नोटिस प्राप्त करें जबाव दें एवं किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उसका जबाव दें, निदान करें इसके अतिरिक्त वें अन्य सभी कार्यवाहियों को जो परियोजना के कियान्वयन के लिये आवश्यक है जिसमें आर्किटेक्ट/इंजीनियर से सम्पर्क करना, नक्शा बनवाना, विकास कार्य इत्यादि करने के लिए अधिकृत होगा।

सह सचिव
उत्तर प्रदेश

6. <u>अप्रत्याशित घटनाः</u> जो कि इस विलेख के तहत किसी भी पक्षकारगण को किसी अप्रत्याशित घटना की परिस्थितियों में दायित्वों, उत्तरदायित्व के अधीन नही समझा जायेगा जिसके अर्न्तगत निम्न परिस्थितियाँ है प्रकृति अपदा, युद्ध की स्थिति में, समाजिक दंगे, किसी निमार्ण सामग्री की आपूर्ति में बाधा, सरकारी नियंत्रण आदि के कारण किसी भी योजना के क्रियान्वयन में असमर्थ हो जाना सम्मलित है।

6.1 जो कि किसी भी कारण से इस MoU के किसी भी पक्ष द्वारा इस्तीफा दिये जाने पर अथवा कार्यकारी सदस्य की आकास्मिक मृत्यु होने की दशा मे अथवा किसी पक्षकार के दीवालिया हो जाने की दशा में प्रबन्धक सदस्य के नियन्त्रण में सम्बन्धित सदस्य समिति का समस्त कार्य आ जायेगा एवं समस्त अधिकार प्रबन्धक सदस्य निहित हो जायेगें जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक निरन्तरता को बनाये रखना तथा ऐसी स्थिती में प्रबन्धक सदस्य के निर्देशों के अधीन सम्बन्धित पक्षकार जो अपनी दायित्वों के निर्वाहन में उपरोक्तानुसार जैसा की उल्लेखित है असक्षम हुआ है का समस्त प्राशासनिक कार्यो के साथ-साथ उनके सारे कार्यालय के कार्य, सम्पदा, जिम्मेदारियों पर प्रबन्धक सदस्य का नियन्त्रण भी स्थापित हो जायेगा।

7. <u>विवादों का निपटाराः</u> जो कि इस विलेख के पक्षकारगण आपसी सहमति से ऊपर उल्लेखित नियम व शर्तो के अधीन विवादों को सुलझाने के लिए सहमति रखते है परन्तु किसी कारणवश यदि कोई भी विवाद का निपटारा करने में असफल रहते है तो प्रकरण को मध्यस्थ के लिए सन्दर्भित कर दिया जायेगा जिसका फैसला पक्षकारगण पर बाध्यकारी होगा।

8. <u>गोपनीयताः-</u> जो कि पक्षकारगण द्वारा इस विलेख के नियम व समझौते की शर्तो को किसी भी तीसरे पक्ष के साथ व्यवसायित गोपनीयता के पृष्ठभूमि में खुलासा करने के लिये अधिकृत नही रहेंगे जब तक ऐसी कोई आम सहमति सभी पक्षकारगण के मध्य नही बन जाती हैं। पक्षकारगण के मध्य आहरित सभी दस्तावेजों और सूचनाओं को गोपनीय माना जाएगा परन्तु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस प्रकार का प्रतिबन्ध प्रभावी नही रहेगा।

9. <u>नोटिसः-</u> जो कि इस विलेख के अधीन आवश्यक कोई भी नोटिस लिखित रूप में दी जायेगी और इस विलेख में उल्लेखित पते पर स्वीकृति के साथ-साथ हाथों हाथ दिया जाएगा अथवा सदस्य को पंजिकृत डाक द्वारा भेज दिया जाएगा।

10. <u>उद्घोषणाः-</u>

जो कि इस सामान्य अनुबन्ध में शामिल प्रत्येक पक्ष के किसी स्वामित्व का स्थानांतरण आपस में नही किया जा रहा है अर्थात प्रत्येक पक्ष अपने समस्त स्वामित्व को पूर्वतः अपने पास धारण किये रहेंगे।

सब रजि
उत्तर प्रदेश

स्टाम्प की देयता

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसूची 1-बी के तहत निर्धारित रू0 1100/- का स्टाम्प अदा किया जा रहा है जिसका ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0 IN-UP80507241394361X एवं कमांक सं0 0016370545 है।

IN WITNESS THEREOF पक्षकारगण द्वारा इस विलेख का निष्पादन करते हुए अपना-अपना हस्ताक्षर आज दिनांक 04.12.2025 को निम्न साक्षियों के समक्ष कर दिया गया है कि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

प्रथम पक्ष गोल्डेन सहकारी आवास समिति लिमिटेड प्रयागराज द्वारा – सचिव :मोहम्मद इमरान अहमद पुत्र मो0 रफी खान निवासी : चकहरिहरवन, झूंसी, प्रयागराज **Golden Sahkari Awas Samiti Ltd** **Society Regd. Number-4515/31-07-2012** **Designation- Secretary** हस्ताक्षर	द्वितीय पक्ष मोहम्मद अफजल खान पुत्र गुलाम मुर्तजा खान निवासी : चकहरिहरवन, झूंसी, प्रयागराज **Golden Sahkari Awas Samiti Ltd** **Society Regd. Number-4515/31-07-2012** **Designation- President** हस्ताक्षर
तृतीय पक्ष राजीव नागर पुत्र राम नरेश निवासी : 97 चक निरातुल, चौफटका, जी.टी.बी. नगर, प्रयागराज **Golden Sahkari Awas Samiti Ltd** **Society Regd. Number-4515/31-07-2012** **Designation- Member** हस्ताक्षर R. Nagar	

उत्तर प्रदेश

गवाह :–1

नाम श्री शिव कुमार
पिता का नाम श्री रमाशंकर
पता ग्राम मुलनापुर, सैदाबाद, प्रयागराज

आधार कार्ड नं० 9681 9694 9623

मो० नं० 9621056819

हस्ताक्षर

गवाह :–2

नाम प्रमोद कुमार
पिता का नाम श्री फूल चन्द्र
पता ग्राम सराय गोपी उर्फ झझरी, पोस्ट – बाबुगंज,
फूलपुर प्रयागराज – 212402

आधार कार्ड नं० 2339 9129 9034

मो० नं० 9452844416

हस्ताक्षर

दिनांक :– 04/12/2025

स्थानः– प्रयागराज।

मसविदाकर्ता– शिव कुमार

टाइपकर्ता– प्रमोद कुमार

निबंधक लिपिक प्रयागराज
05/12/2025

आवेदन सं०: 202500889018214

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 119 के पृष्ठ 303 से 322 तक क्रमांक 183 पर दिनाँक 05/12/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शशिकांत श्रीवास्तव प्रभारी
उप निबंधक : फूलपुर
प्रयागराज
05/12/2025

उत्तर प्रदेश